डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पेश अदालत– सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

पेश इजलास– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

उनवान– मिश्री लाल बनाम महेन्द्र वगै0

दावा बाबत – उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु.न. 37/2005 पुन दर्ज मु. न. 215/2008 न्यायालय हाजा मे दर्ज मु. न. 2022/128 पुन दर्ज

आदेश है कि वादीगण वाद दावा उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी भूमि आराजी खसरा नम्बर 600 रकबा 0.25 एयर, आराजी खसरा नम्बर 600/656 रकबा 0.01 एयर गैर मुमकिन बोरिंग, आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.02 एयर, आराजी खसरा नम्बर 602 रकबा 0.02 एयर, आराजी खसरा नम्बर 603 रकबा 0.30 एयर, आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 0.02 एयर, आराजी खसरा नंबर 605 रकबा 0.03, आराजी खसरा नम्बर 606 रकबा 0.22 एयर, आराजी खसरा नम्बर 607 रकबा 0.30 खसरा नम्बर 608 रकबा 0.10 एयर, आराजी खसरा नंबर 609 रकबा 0–40 एयर, आराजी खसरा नम्बर 610 रकबा 1.56 एयर, आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 0.08 एयर, कुल किता 13 कुल रकबा 3.31 हेक्टेयर राय मुंसरिमा का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 10.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निज ______ मुवक्लिल ______________________ बाबत ______________________ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद पसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 02 सन 2026 को जारी की गई।

(रामसिंह राजावत) 10/2/26
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
बांदीकुई

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा	निल	निल
स्टाम्प वकालत			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील खर्चा तलबाना			खर्चा तलबाना		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
दूसराखर्चा मुतफरिक			दूसराखर्चा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

दस्तखत 10/2/26
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
बांदीकुई

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

मु.न. 37/2005 पुन दर्ज मु. न. 215/2008
न्यायालय हाजा में दर्ज मु. न. 2022/128 पुन दर्ज
प्रकरण दर्ज दिनांक 22.06.2022
निर्णय दिनांक 10.02.2026

उनवान

1 मिश्रीलाल पुत्र गणेश फौत के बजाय–
1/1 धन्नी देवी पत्नि स्व० मिश्रीलाल
1/2 विश्राम पुत्र स्व० मिश्रीलाल
1/3 सांगु पुत्र स्व० मिश्रीलाल
1/4 शीला पत्नि स्व० रामकरण पुत्र स्व० मिश्रीलाल
1/5 रिंकु पुत्र स्व० रामकरण पुत्र स्व० मिश्रीलाल
1/6 दिलखुश पुत्र स्व० रामकरण पुत्र स्व० मिश्रीलाल
2 सैंदूराम फौत के बजाय–
2/1 धरमी बेवा सेदूराम
2/2 गैंदाराम
2/3 शिवलाल फौत के बजाय–
2/3/1 भान बाई पत्नि स्व० शिवलाल
2/3/2 रोशन पुत्र स्व० शिवलाल
2/3/3 सुरेश पुत्र स्व० शिवलाल
2/4 बाबूलाल पुत्र सैंदूराम
2/5 जमको पुत्री देदूराम
2/6 छोटी पुत्री स्व० सैंदूराम
2/7 सीमा पुत्री स्व० सैंदूराम
3. गीजा पत्नु लक्ष्मण

जाति माली
निवासी मुण्डघिस्या
तहसील बांदीकुई
जिला दौसा

4. गोरधन पुत्र जगन्या फौत के बजाय–
4/1 परस्या
4/2 धनसी
4/3 छोटेलाल
4/4 डूंगा

स्व० गोरधन

5 रणजीता पुत्र गंगाधर
6 अंगूरी बेवा बृजमोहन
7 कल्याण पुत्र हेला
8 स्वरूप पुत्र जगन्या

जाति माली
निवासी मुण्डघिस्या
तहसील बांदीकुई
जिला दौसा

– वादीगण

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी मुंडघिस्या बडियाल कला तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये सैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
बांदी.

3 प्रेमकंवर पुत्री रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी मुंढ़घिस्या बढ़ियाल कलाँ तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई ।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित – वादी अधिवक्ता श्री जयदेव कसाना एडवोकेट
प्रतिवादी अधिवक्ता श्री विजय तिवाड़ी एडवोकेट

दावा उद्‌घोषणा खातेदारी एव स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 10.02.2026

वादीगण ग्राम बढ़ियाल कलां के स्थायी निवासी है। जिनके कब्जे काश्त की भूमि वाके ग्राम मुंढ़घिस्या तहसील बसवा में स्थित है जिसकी रिकॉर्ड में खातेदारी प्रतिवादी नम्बर एक के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि खतौनी संख्या पुरानी 63 नई 63 के आराजी खसरा नम्बर 600 रकबा 0.25 एयर, आराजी खसरा नम्बर 600/656 रकबा 0.01 एयर गैर मुमकिन बोरिंग, आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.02 एयर, आराजी खसरा नम्बर 602 रकबा 0.02 एयर, आराजी खसरा नम्बर 603 रकबा 0.30 एयर, आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 0.02 एयर, आराजी खसरा नंबर 605 रकबा 0.03, आराजी खसरा नम्बर 606 रकबा 0.22 एयर, आराजी खसरा नम्बर 607 रकबा 0.30 खसरा नम्बर 608 रकबा 0.10 एयर, आराजी खसरा नबर 609 रकबा 0-40 एयर, आराजी खसरा नम्बर 610 रकबा 1.56 एयर, आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 0.06 एयर, कुल किता 13 कुल रकबा 3.31 हैक्टेयर लगानी 11/– रूपये 42 पैसे वाके ग्राम मुंढ़घिस्या तहसील बसवा में स्थित है। जो कि वादीगण संख्या 5 लगा. 7 का 1/2 हिस्सा एवम् वादीगण संख्या 1 लगा 4 का 1/2 हिस्सा भूमि में काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। एवम् लगान आदि भी अपने अपने हिस्से मुताबिक अदा करते आ रहे है। वाद पत्र के जिम्मन न 2 मे वर्णित खसरा न के पुराने ख.न 190 एवम् 191 म दर्ज रिकार्ड थे वादीगण एवम् वादीगण के पूर्वज विवादित भूमि वाद पत्र के जिम्मन न 2 व 3 मे वर्णित भूमि पर काबिज होकर शान्ति पूर्वक काश्त कर अपने एवम् अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे है। जिनका कि सिजरा निम्न प्रकार है –

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
बांदीकुई

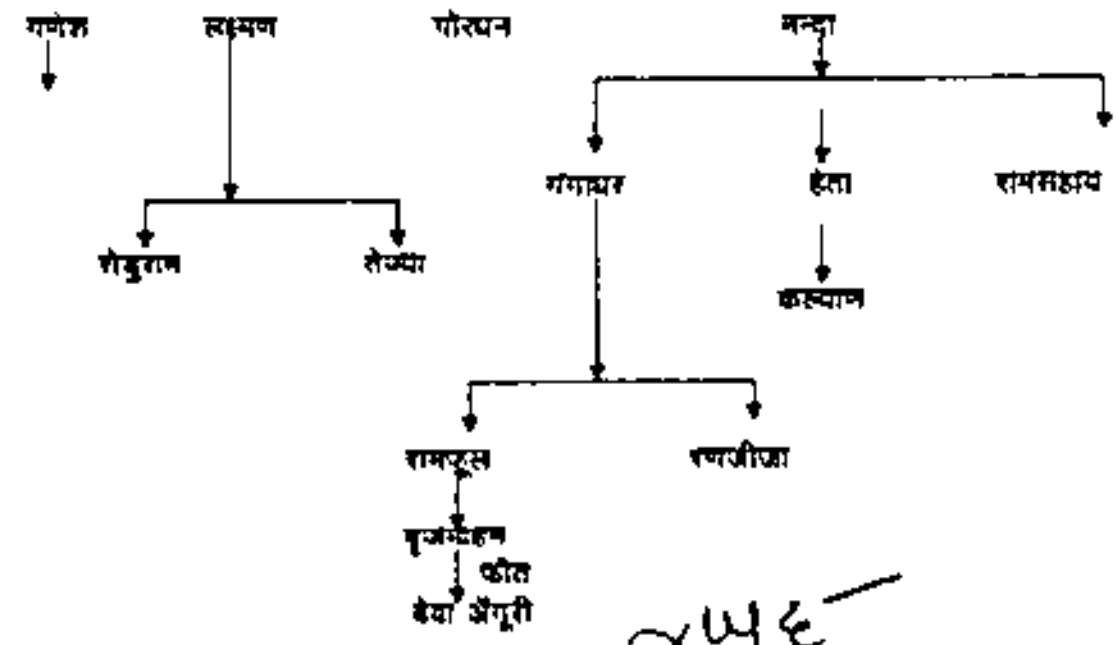

विवादग्रस्त भूमि वाद पत्र के पैरा नम्बर दो व तीन में वर्णित भूमि में वादी नम्बर एक के हिस्से में दो कमरे दो छप्पर अपने रिहायस हेतु व बना रखे है एवम् वादी नम्बर तीन ने अपनी भूमि में दो पुख्ता कमरे एवं अपनी रिहाइश हेतु तीन गह पाटोस डाल रखी है। वादी नम्बर दो ने अपनी रिहायश हेतु दो कमरे पुख्ता एवं दो छप्पर व दो कच्चे मकान बना रखे है। वादी नम्बर सात ने अपनी रिहायश हेतु चार गह पाटोस बनाकर अपने पूर्वजों के समय से अपने व अपने परिवार सहित रहवास करते आ रहे है।

वादी गण का विवादग्रस्त भूमि पर अर्सा करीब 40 वर्षों से अधिक समय से शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है इसका रिकार्ड खसरा गिरदावरी सम्वत् 2017, सुम्वत् 2019 से 20 एवम् 31 से 34 में स्पष्ट रूप से दर्ज रिकार्ड है कि वादीगण एवं वादीगण के पूर्वज विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त बदस्तूर चली आ रही है। वादीगण विवादग्रस्त भूमि पर अर्सा करीब चालीस वर्ष से अधिक भूमि पर शान्तिपूर्वक का काबिज होकर चले आने के कारण विवादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है, क्योंकि वादीगण को चालीस वर्षों से विवादग्रस्त भूमि का लगान आदि जमा करवाते आ रहे है एवं वादीगण एवम् उनके पूर्वजों ने अपनी मेहनत की कमाई कर एवं मेहनत करके उक्त भूमि को जो कि उबड़ खाबड़ एवं बंजड़ थी, उसे काश्त योग्य बनाया स्वयं काश्त कर अपने व अपने परिवारीजन का पालन पोषण किया। वादीगण के पास भूमि मुतदाविया के अलावा अन्य कोई काश्त की भूमि नहीं है एवम् वादीगण का पुख्ता मकानात भी विवादग्रस्त भूमि पर बने हुए है जिनमें वादीगण एवं उनके परिवारीजन शान्तिपूर्वक रहते चले आ रहे। प्रतिवादी नम्बर एक के मन में अपने नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड होने के कारण बेईमानी आ गई है एवम् उक्त भूमि का अपने नाम रिकार्ड में दर्ज होने के कारण उक्त भूमि पर ऋण लेने एवं बेचने के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया एवं प्रतिवादी नम्बर एक ने दिनांक 10.3.2006 को वादीगण को एलानिया धमकी दी कि मैं विवादग्रस्त भूमि पर ऋण लेकर रहूंगा एवम् दीगर सख्स को बय करके रहूंगा। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी को बहुत समझाया, किन्तु प्रतिवादी ने वादीगण के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया इसलिए यह दावा स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। क्योंकि अगर प्रतिवादी संख्या एक अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी एवं बिना वजह के मुकदमात में फंसना पड़ेगा। वादीगण अशिक्षित एवम् गरीब काश्तकार है, जो कि बरबाद हो जायेंगे एवम् वादीगण के परिवार को भूखे मरने की नौबत उत्पन्न हो जावेगी इसलिए प्रतिवादी नम्बर एक को इस अमर से पाबन्द फरमावें कि वह अपने नाम दर्ज रिकार्ड खातेदारी की आड़ में किसी भी प्रकार का ऋण लेने से दीगर शख्स को रहन, बय, करने से एवं वादीगण को बेदखल करने से स्थायी तौर पर पाबन्द रहे। सकूनत फरीकेन एवम् सकूनत भूमि मुतदाविया के अन्दर हदूद अदालत हाजा के वाके होने से दावा हाजा के श्रवणाधिकार अदालत हाजा को हासिल है। हस्बू किस्म के दावेजात के लिए प्रत्येक दादरसी हेतु कोर्ट फीस दो रूपया मुकर्रर होने से दावा हाजा कुल चार रूपये कोर्ट फीस पर पेश है। बिनाय बीम दावा एवं बिनाय मुखासमत वादीगण को प्रतिवादी संख्या एक द्वारा दिनांक 10.3.2006 को विवादग्रस्त भूमि पर ऋण लेने की अथवा दीगर सख्स को रहन, बय करने की एलानियां धमकी देने से अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई है। अतः दावा अन्दर मियाद पेश है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण बहक वादीगण, बर खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्रि फरमाया जावे। उद्घोषणा इस अमर को सादिर फरमाई जावे कि भूमि खतौनी संख्या पुरानी 63,नई 63 के आराजी खसरा नम्बर 600, 600/656, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, कुल किता 13 कुल रकबा 3.31 हैक्टे. वाके ग्राम मुड़िया तहसील बसवा में वादीगण संख्या 1 लगा. 4 का 1/2 हिस्सा है तथा वादीगण संख्या 5 लगा. 7 का 1/2 हिस्सा है और इस अमर की घोषणा वादीगण करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि वे भूमि वादग्रस्त मुन्दर्जे जिम्मन नं. 2 व 3 को किसी दीगर सख्स को रहन, बय मुन्तकिल न करे तथा उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का ऋण आदि प्राप्त न करे व इस अमर से बाज व मुमतनाह रहे। तथा गत फसल उन्हालू में भूमि वादग्रस्त में वादीगण द्वारा बोई गई फसल के ओलावृष्टि से नष्ट हो जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा देय मुआवजा राशि को प्रतिवादी संख्या एक प्राप्त करने से बाज व मुमतनाह रहे तथा वादीगण को उक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने में कोई उज्र नहीं करे तथा यदि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त मुआवजा राशि प्राप्त करले तो उससे उक्त मुआवजा राशि वसूल कर मय ब्याज वादीगण को अदा कराई जावे।

[illegible]

खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। अन्य दादरसी जो करीने इन्साफ व मुफीदे वादीगण हो बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण और अता फरमाई जावे।

प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 का दिनांक 15.07.2007 को स्वीकार किया गया प्रकरण में पुन संशोधित वाद पत्र पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है– वादीगण ग्राम बडियाल कलां के स्थायी निवासी है जिनके कब्जे काश्त की भूमि वाके ग्राम मुण्डघिस्या है जिसकी रिकार्ड मे खातेदारी प्रतिवादी नम्बर एक के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 600 रकबा 0.25 एयर, आराजी खसरा नम्बर 600/656 रकबा 0.01 एयर गैर मुमकिन बोरिंग, आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.02 एयर, आराजी खसरा नम्बर 602 रकबा 0.02 ऐयर, आराजी खसरा नम्बर 603 रकबा 0.30 एयर, आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 0.02 एयर, आराजी खसरा नंबर 605 रकबा 0.03, आराजी खसरा नम्बर 606 रकबा 0.22 एयर, आराजी खसरा नम्बर 607 रकबा 0.30 खसरा नम्बर 608 रकबा 0.10 एयर, आराजी खसरा नंबर 609 रकबा 0–40 एयर, आराजी खसरा नम्बर 610 रकबा 1.66 एयर, आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 0.06 एयर, कुल किता 13 कुल रकबा 3.31 हेक्टेयर लागानी 11/– रूपये 42 पैसे वाके ग्राम मुंडघिस्या तहसील बसवा में स्थित है। जो वादी बख्त सिंह राजपूत के नाम से अलमशहूर है तथा शुरू से इसी नाम से जानी जाती रही है। उक्त भूमि पूर्व में बख्त सिंह राजपूत की जागीर दारी की भूमि थी जिस पर वादीगण का सैकड़ो वर्षो से बजमाने बुजुर्गान से बिना उज्र एव एवं बिना रोक टोक शान्ति पूर्वक उक्त बख्त सिंह तथा प्रतिवादीगण एव उनके बुजुर्गान की खुलासा जानकारी मे उनकी मर्जी एव इच्छा के विरूद्ध लगातार कब्जा मुखालिफाना चला आ रहा है तथा सन 1948 में उक्त भूमि पर झगड़ा हो जाने पर उक्त भूमि को हमारे बुजुर्गान के कब्जे से कब्जेराज में ली जाकर उस पर रिसिवर नियुक्त किया गया था तथा दिनांक 31.12.1959 को उप जिला अधिकारी दौसा ने उक्त भूमि वादग्रस्त पर प्रार्थी वादीगण के बुजुर्गान को पुनः हकीकी कब्जा सम्भला दिया, तब से वादीगण भूमि वादग्रस्त पर प्रतिवादीगण एवं उनके बुजुर्गान की खुलासा जानकारी मे उनकी इच्छा एवं सहमति के विरूद्ध लगातार शान्ति पूर्वक कब्जा मुखालिफाना रखते हुए लगातार काबिज काश्त होकर मुस्तफिद होते चले आते है तथा उसी में रिहाइश करते चले आते है तथा सरकारी लगान अदा करते चले आते है। दिनांक 31.12.1959 से पूर्व अथवा उसके उपरान्त प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 उनके किसी बुजुर्ग का भूमि वादग्रस्त पर कभी कोई कब्जा अथवा काश्त नही रहा है तथा वादीगण को बेदखल करने के प्रतिवादीगण के हस्ब कानून समस्त अधिकार समाप्त हो चुके है तथा वादीगण का दिनांक 31.12.1959 से भूमि वादग्रस्त पर लगातार कब्जा मुखालिफाना होने से प्रार्थी वादीगण को भूमि वादग्रस्त में हकूक खातेदारी प्रोमिस हो चुके है तथा वादीगण अपने हक में भूमि वादग्रस्त की खातेदारी की अभिघोषणा करा पाने के मुस्तहक अधिकारी है। जिस हेतु दावा पेश है। भूमि वादग्रस्त में वादीगण संख्या 1 लगायत 4 एवं आठ हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 7 हिस्सा 1/2 पर काबिज काश्त चले आते है तथा इसी हिस्से अनुसार अपने हकूक खातेदारी घोषित करा पाने के अधिकारी है। वाद पत्र के जिम्मन नम्बर दो में वर्णित खसरा नम्बरान के पुराने खसरा नम्बर 190 एव 191 नम्बर दर्ज रिकार्ड मे। वादीगण एवं वादीगण के पूर्वज विवादित भूमि वादग्रस्त के जिम्मन नम्बर दो व तीन में वर्णित भूमि पर काबिज होकर शान्ति पूर्वक काश्त कर अपने एवं अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे है। वर्णित भूमि में वादी नम्बर एक के पिता ने दो कमरे व दो छप्पर अपने रिहायश हेतु बना रखे है एवं वादी नम्बर तीन ने अपनी भूमि में दो पुख्ता कमरे एवं अपनी रिहाईश हेतु तीन गढ़ पाटौस डाल रखी है वादी नम्बर दो ने अपनी रिहाईश हेतु दो कमरे एवं दो छप्पर व दो कच्चे खाप मकान बना रखे है वादी नम्बर सात ने अपनी रिहायश हेतु चार गढ़ पाटौस बनाकर अपने पूर्वजो के समय से अपने व अपने परिवार सहित रहवास करते आ रहे है। वादीगण का विवादग्रस्त भूमि पर अर्सा करीब 40 वर्षो अधिक समय से शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है इसका रिकार्ड खसरा गिरदावरी सम्वत 2017,2019, से 20 एव 31 से 34 में स्पष्ट रूप से दर्ज रिकार्ड है कि वादीगण एवं वादीगण के पूर्वज विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त बदस्तूर चली आ रही है। वादीगण विवादग्रस्त भूमि पर अर्सा करीब चालीस वर्ष से अधिक भूमि पर शान्ती पूर्वक काबिज होकर चले आने के कारण विवादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है क्योंकि वादीगण ही चालीस वर्षो से विवादग्रस्त भूमि का लगान आदि जमा करवाते आ रहे है एव वादीगण एव उनके पूर्वज ने अपनी मेहनत की कमाई लगाकर मेहनत करके उक्त भूमि को जो कि ऊबड़ खाबड़ बंजड़ थी, उसे काश्त योग्य बनाया एवं काश्त कर

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
बसवा

अपने परिवारीजन का पालन पोषण किया। वादीगण के पास भूमि मुतदाविया के अलावा अन्य कोई काश्त की भूमि नही है एवं वादीगण का पुख्ता मकानात भी विवादग्रस्त भूमि पर बने हुए है जिनमे वादीगण एवं उनके परिवारजन शान्ति पूर्वक रहते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 के मन में अपने नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड होने के कारण बेईमानी आ गई है एवं उक्त भूमि को अपने नाम रिकार्ड में दर्ज होने के कारण उक्त भूमि का ऋण लेने एवं बेचने के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया एवं प्रतिवादी नम्बर एक ने दिनांक 10.03.2005 को वादीगण को एलानिया धमकी दी कि मैं विवादग्रस्त भूमि पर ऋण लेकर रहूंगा एवं दीगर शख्स को बेच करके रहूंगा जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को बहुत समझाया किन्तु प्रतिवादीगण ने वादीगण के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया इसलिये दावा स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। क्योंकि अगर प्रतिवादी संख्या एक अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि उद्घोषणा इस अमर को सादिर फरमाई जावे कि भूमि खतौनी संख्या पुरानी 63,नई 63 के आराजी खसरा नम्बर 600, 600/656, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, कुल किता 13 कुल रकबा 3.31 हैक्टे. वाके ग्राम मुड़फिस्या तहसील बसवा में वादीगण संख्या 1 लगा. 4 तथा वादी संख्या आठ को 1/2 का तथा वादीगण संख्या पांच लगायत सात को हिस्सा 1/2 का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार खाते खतौनी जमाबन्दी पास बुक इत्यादि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर उसके सीग पर वादीगण के हक मे खातेदारी का इन्द्राज दर्ज कराया जावे।

प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि वे भूमि वादग्रस्त मुन्दर्जे जिम्मन न. 2 व 3 को किसी दीगर शख्स को रहन, बय मुन्तकिल न करे तथा उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का ऋण आदि प्राप्त न करे व इस अमर से बाज व मुमतनाह रहे। तथा गत फसल उन्हालू में भूमि वादग्रस्त मे वादीगण द्वारा बोई गई फसल के ओलावृष्टि से नष्ट हो जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा देय मुआवजा राशि को प्रतिवादी संख्या एक प्राप्त करने से बाज व मुमतनाह रहे तथा वादीगण को उक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने में कोई उज्र नहीं करे तथा यदि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त मुआवजा राशि प्राप्त करले तो उससे उक्त मुआवजा राशि वसूल कर मय ब्याज वादीगण को अदा कराई जावे। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। अन्य दादरसी जो करीने इन्साफ व मुफीदे वादीगण हो बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण और अता फरमाई जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रकरण में निम्न प्रकार संशोधित जवाब पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार है— चरण संख्या वाद पत्र में वादीगण का सकियात कस्बा में रहना स्वीकार है परन्तु विवादित भूमि से उनका कोई ताल्लुक नहीं है विवादित भूमि का प्रतिवादी संख्या एक खातेदार काश्तकार है। चरण संख्या 2 वाद पत्र में वर्णित भूमि काश्त का प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है। वादीगण का जिस प्रकार हिस्सा दर्ज है कतई गलत व बेबुनियाद है संशोधन स्वीकृति आदेश के विरुद्ध संशोधन किये गये जो स्वीकार नहीं है। चरण संख्या तीन वाद पत्र स्वीकार है। चरण संख्या चार वाद पत्र स्वीकार नहीं है शिजरा खानदान भी गलत दर्ज किया है जो स्वीकार नहीं है। चरण संख्या पांच वाद पत्र जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार है नहीं है वादीगण ने विवादित भूमि के कुछ हिस्से पर करीब एक साल पूर्व मकान बनाये थे प्रतिवादी सरकारी नौकरी में होने से बाहर रहता है इसका नाजायज फायदा उठाकर वादीगण ने अतिक्रमण कर निर्माण किया जो हटाये जाने योग्य है। चरण संख्या 6 वाद पत्र स्वीकार नहीं है। चरण संख्या 7 वाद पत्र स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी का पिता राजकीय सेवामें रहते थे इस कारण कभी कभी काश्तकारी को भूमि काश्त के लिये दिया देते थे वादीगण को अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने काश्त के लिये भूमि बतायी थी परन्तु वादीगण ने प्रतिवादी की अनुपस्थिति का नाजायज फायदा उठाकर निर्माण किया और आपत्ति करने पर हटाने का वायदा किया है चरण संख्या 8 वादपत्र स्वीकार है प्रतिवादी ने वादीगण को कोई झगड़ा नहीं किया बल्कि भूमि से हटने के लिये कहा था और तीन साल से साझेदारी के हासिल के बकाया के लिये कहा था जिस पर वादीगण ने यह गलत दावा पेश किया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। चरण संख्या 9 वाद पत्र स्वीकार है। चरण संख्या 10 वाद पत्र कानूनी है। चरण संख्या 11 वाद पत्र स्वीकार नहीं है। वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। संशोधित इस्तदुआ दादरसी स्वीकार नहीं है। सभी गलत है। विशेष बिन्दु प्रतिवादी का पिता सरकारी सेवामें होने

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

के कारण विवादित भूमि में साझे में काश्तकारी द्वारा काश्त करवाते रहे है वादीगण को विवादित भूमि चार साल पूर्व साझे में काश्त के लिये बता रखी थी परन्तु बार–बार कहने पर भी न तो साझे का हिसाब कर अदायगी कर रहे है और न भूमि से हट रहे वादीगण विवादित भूमि पर किस हैसियत से काबिज रहे है वर्णित नही है। इसलिये वाद पत्र पोषणीय नही है। दावा मियाद बाहर है। प्रतिवादी की बहन प्रेम कँवर आवश्यक पक्षकार है क्योंकि विवादित भूमि वादी को अपने पिता से प्राप्त हुयी है। विवादित भूमि पर वादीगण को काबिज होने का कोई अधिकार नही है प्रतिवादी विवादित भूमि से वादीगण बेदखल करने के लिये अपने प्रतिदावा प्रस्तुत करता है। वादीगण को विवादित भूमि से बेदखल किया जावे प्रतिवादी को वादीगण से 10,000/– रूपये अक्षरे दस हजार रूपये और बतौर हर्जा काश्त प्रतिवर्ष तीन साल के लिय तीस हजार रूपये दिलवाये जावे व बेदखल होने तक प्रतिवादी को वादीगण से 20,000/– रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये सालाना किराया दिलाया जावे इसके लिये प्रतिवादी अपना प्रतिदावा प्रस्तुत करता है व प्रतिदावे की कोर्ट फीस पेश है। वादीगण को इकजाई दावा लाने का अधिकार नही है। व अलग अलग हिस्से में सम्बन्ध में कोई अनुतोष नही चाहा है और न बंटवारे का दावा है इसलिये भी दावा पोषणीय नही है।

अतः प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे और वादीगण को विवादित भूमि काश्त वर्णित पैरा नं. 2 वाद पत्र स्थित चाहे ग्राम मुण्डियिस्या तहसील बसवा से बेदखल करने की डिक्री पारित की जावे तथा प्रतिवादी को वादीगण को बतौर खर्चा काश्त 30,000/– व भविष्य बेदखल होने तक 20,000/–रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये सालाना दिलवाया जावे खर्चा प्रतिवादी को वादीगण से दिलवाया जावे।

प्रकरण निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई–तनकी संख्या 1 आया विवादित भूमि में वादीगण का हिस्सा 1 लगायत 4 का 1/2 है तथा 5 लगायत 7 का 1/2 है तदानुसार घोषणा कराने का अधिकारी है। वादी ......तनकी संख्या 2 आया विवादित भूमि में वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। वादी.... । तनकी संख्या 3 अनुतोष

पत्रावली वादी साक्ष्य पर नियत की गई वादी की ओर से कल्याण पुत्र हेता , रामकिशोर पुत्र कान्हा, बदरी राम पुत्र रघुनाथ जिरह प्रतिवादी वकील की गई। वादी साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य पर नियत किया गया प्रतिवादी की ओर से महेन्द्र सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। जिरह वादी अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रकरण में वादी संख्या 6, 4/1,4/2,4/3,4/4,6,7,8 की ओर से दावा डिक्री का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो दिनांक 30.05.2022 को स्वीकार किया गया। वादी संख्या 2/2/1, 2/2/2, 3 की ओर से दावा डिक्री प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो दिनांक 6/6/2022 को स्वीकार किया गया। प्रकरण शेष वादीगण की ओर से जारी रखते हुये प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण बहस पर नियत किया गया। प्रकरण में आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 25.07.2022 को खारिज किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में हो जाने से मूल प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा तलब किया गया। प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 16.10. 2025 के निगरानी खारिज की गई। पक्षकारान को अदालती नोटिस तामील की जाकर प्रकरण पुनः बहस पर नियत किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र को दोहराते हुये तर्क किया है कि वादीगण ग्राम बडियाल कलां के स्थायी निवासी है जिनके कब्जे काश्त की भूमि वाके ग्राम मुण्डियिस्या है जिसकी रिकार्ड में खातेदारी प्रतिवादी नम्बर एक के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि जो वादी बख्त सिंह राजपूत के नाम से अलमशहूर है तथा शुरू से इसी नाम से जानी जाती रही है। उक्त भूमि पूर्व में बख्तासिंह राजपूत की जागीर दारी की भूमि थी जिस पर वादीगण का सैकड़ो वर्षो से बजमाने बुजुर्गान से बिना रोक एवं बिना रोक टोक शान्ति पूर्वक उक्त बख्त सिंह तथा प्रतिवादीगण एवं उनके बुजुर्गान की खुलासा जानकारी में उनकी मर्जी एवं इच्छा के विरूद्ध लगातार कब्जा मुखालिफाना चला आ रहा है तथा सन् 1948 में उक्त भूमि पर झगड़ा हो जाने पर उक्त भूमि को हमारे बुजुर्गान के कब्जे से कब्जेराज में ली जाकर उस पर रिसिवर नियुक्त किया गया था तथा दिनांक 31.12.1959 को उप जिला अधिकारी दौसा ने उक्त भूमि वादग्रस्त पर वादी वादीगण के बुजुर्गान को पुनः हकीकी कब्जा सम्भला दिया, तब से वादीगण भूमि वादग्रस्त पर प्रतिवादीगण एवं उनके बुजुर्गान की खुलासा जानकारी में उनकी इच्छा एवं सहमति के विरूद्ध लगातार

सहायक कलेक्टर (...)
बसवा

शान्ति पूर्वक कब्जा मुखालिफाना रखते हुए लगातार काबिज काश्त होकर मुस्तफिद होते चले आते है तथा उसी मे रिहाइश करते चले आते है तथा सरकारी लगान अदा करते चले आते है। दिनांक 31.12.1959 से पूर्व अथवा उसके उपरान्त प्रतिवादीगण संख्या 1 अथवा 3 उनके किसी बुजुर्ग का भूमि वादग्रस्त पर कभी कोई कब्जा अथवा काश्त नही रहा है तथा वादीगण को बेदखल करने के प्रतिवादीगण के हस्ब कानून समस्त अधिकार समाप्त हो चुके है तथा वादीगण का दिनांक 31.12.1959 से भूमि वादग्रस्त पर लगातार कब्जा मुखालिफाना होने से उन्हीं वादीगण को भूमि वादग्रस्त मे हकूक खातेदारी हासिल हो चुके है तथा वादीगण अपने हक मे भूमि वादग्रस्त की खातेदारी की उद्घोषणा करा पाने के मुस्तहक अधिकारी है। दावा स्वीकार किया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब दावे को दोहराते हुये तर्क किया है कि प्रतिवादी का पिता सरकारी सेवामे होने के कारण विवादित भूमि मे साझे मे काश्तकारो द्वारा काश्त करवाते रहे है वादीगण को विवादित भूमि चार साल पूर्व साझे मे काश्त के लिये बता रखी थी परन्तु बार–बार कहने पर भी न तो साझे का हिसाब कर अदायगी कर रहे है और न भूमि से हट रहे वादीगण विवादित भूमि पर किस हैसियत से काबिज रहे है वर्णित नही है। प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर किसी को खातेदार घोषित नही किया जा सकता है। कुछ वादीगण द्वारा समझौते के तहत दावा विड्रो कर लिया है इसलिये वाद पत्र पोषणीय नही है। खारिज किया जावे। न्यायायिक दृष्टान्त राजस्थान हाई कोर्ट पेमाराम वगै बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यु

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण का तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार है–

तनकी संख्या 1 आया विवादित भूमि मे वादीगण का हिस्सा 1 लगायत 4 का 1/2 है तथा 5 लगायत 7 का 1/2 है तदानुसार घोषणा कराने का अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा वाद की ताईद मे प्रदर्श 1 ग्राम मुण्डफिरका की जमाबन्दी सम्वत 2059 पेश की गई जो महेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह के नाम दर्ज है, प्रदर्श 2 मिसल बेजकस सम्वत 2052– 2071, प्रदर्श 3 खसरा गिरदावरी सवंत 2017 से 2018 ,2019–20, 2031–31 प्रदर्श 4 लगायत 9 हासल रसीद पेश की गई है। प्रदर्श 1 मे प्रतिवादी महेन्द्र का नाम दर्ज है। तथा प्रदर्श 3 खसरा गिरदावरी मे कालम संख्या 5 खातेदार /गैर खातेदार के कालम मे प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह के पिता रणधीर सिंह पुत्र श्री बख्श सिंह का नाम दर्ज कालम संख्या 17 कब्जे किरायेदार के कालम मे तेज्या छोड्या माली ,दोल्या पुत्र नथल्या गंगाधर रामसहाय पुत्र देवल्या माली का नाम दर्ज वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व के कोई दस्तावेज पेश नही किये गया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15, 19 का मामला नही बनता है। वादीगण द्वारा पेश दस्तावेज प्रदर्श तथा प्रदर्श 1 के आधार पर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 की होना साबित है। केवल एडवर्स पजेशन के आधार पर किसी खातेदार की खातेदारी से उसका नाम हजफ नही किया जा सकता है। उक्त तनकी को साबित करने मे वादीगण असफल रहे है। उक्त तनकी वादीगण के पक्ष मे तय नही की जाती है।

तनकी संख्या 2 आया विवादित भूमि मे वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है प्रदर्श 1 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का खातेदार है किसी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि मे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है। उक्त तनकी को साबित करने मे वादीगण असफल रहे है।

तनकी संख्या 3 अनुतोष तनकी संख्या 1 लगायत 2 के विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व के कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15,19 का मामला नही बनता है। वादीगण द्वारा प्रदर्श 3 खसरा गिरदावरी पेश की गई है जिसमे प्रतिवादी के पिता का नाम कालम संख्या 5 खातेदार / उपकृषक मे दर्ज तथा वर्तमान मे खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है केवल एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी नही दी जा सकती है। इसलिये वादीगण वाद को साबित करने मे असफल रहे है। वादीगण वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादीगण वाद दावा उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी भूमि आराजी खसरा नम्बर 600 रकबा 0.25 एयर, आराजी खसरा नम्बर 600/658 रकबा 0.01 एयर गैर मुमकिन कोठरि, आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.02 एयर, आराजी खसरा नम्बर 602 रकबा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
बा..

0.02 ऐयर, आराजी खसरा नम्बर 603 रकबा 0.30 एयर, आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 0.02 एयर, आराजी खसरा नंबर 605 रकबा 0.03, आराजी खसरा नम्बर 606 रकबा 0.22 ऐयर, आराजी खसरा नम्बर 607 रकबा 0.30 खसरा नम्बर 608 रकबा 0.10 एयर, आराजी खसरा नंबर 609 रकबा 0–40 एयर, आराजी खसरा नम्बर 610 रकबा 1.56 एयर, आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 0.06 एयर, कुल किता 13 कुल रकबा 3.31 हेक्टेयर बाबत [illegible] का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 10.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/2/26

[illegible]

[illegible]कुमार ए.एस

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)

बांदीकुई